

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, झवालियर

समक्ष : श्री एम.के. सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 107-एक/2017 विरुद्ध आदेश दिनांक  
17-11-2016 - पारित छारा तहसीलदार नौगाँव जिला छतरपुर -  
प्रकरण क्रमांक 91 अ-68/2015-16

जयदेव सिंह बुन्देला पुत्र श्री गोविन्द सिंह बुन्देला

ग्राम मउ सहानिया तहसील नौगाँव

जिला छतरपुर मध्य प्रदेश

---- आवेदक

विरुद्ध

मध्य प्रदेश शासन

---- अनावेदक

(अआवेदक के अभिभाषक श्रीमती मीना शुक्ला)

(अनावेदक के पैनल लायर श्री राजीव गौतम)

आ दे श

(आज दिनांक 19 - 1 - 2017 को पारित)

तहसीलदार नौगाँव जिला छतरपुर छारा प्रकरण क्रमांक 91

अ-68/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 17-11-2016 के विरुद्ध  
मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत यह  
निगरानी प्रस्तुत की गई ।

2- प्रकरण का सारोंश यहकि, कि पटवारी हल्का मउ में तहसीलदार नौगाव को इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि मउ स्थित भूमि खसरा नंबर 1314/3 रकवा 0.699 हैक्टर, जो मध्य प्रदेश 'गासन शासकीय भवनों हेतु आरक्षित है, पर जयदेव सिंह बुन्देला पुत्र श्री गोविन्द सिंह बुन्देला ने बटांकन में 1314 बटांकन में मकान व दुकान बना लिया है। तहसीलदार नौगाव में प्रकरण क्रमांक 91 अ-68/2015-16 पंजीबद्ध किया गया। बटांकन की फर्जी प्रविष्ट से दुखी होकर गढ़ निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3- निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने गये तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4- निगरानी मेमो के तथ्यों एवं उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों एवं उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन पर स्थित यह है कि पटवारी द्वारा तहसीलदार नौगाव को बटांकन की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है प्रस्तुत रिपोर्ट पर से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1314 रकवा 0.699 हैक्टर मध्य प्रदेश शासन द्वारा भवनों के निर्माण हेतु आरक्षित है एवं सही प्रविष्ट खसरा बटांकन 1314 है इसकी फर्जी प्रविष्ट 1314/3 कर दी है। जो निरस्त योग्य है। अर्थात् वाद विचारित भूमि पर मद भवन निर्माण हेतु बटांकन 1314 सुरक्षित है। जिसके 30 ~~40~~ 40 वर्गफुट पर मकान व दुकान बनाकर बटांकन करना पटवारी ने प्रतिवेदित किया है, तब वस्त्रा निर्मित पक्के मकान एवं दुकान के भाग को बटांकन 1314/3 अंकित किया है जिससे फर्जी तरह से प्रविष्ट की है। सही प्रविष्ट 1314 अंकित की जावे। अनुजराम विरुद्ध मध्य प्रदेश 'गासन 1969 राजस्व निर्णय'

४४७ में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत के आश्वासन पर कि भूमि का पट्टा दिया जायेगा, मकान निर्माण सदभावनापूर्ण किया गया, ऐसा फर्जी प्रविष्ट अंकित न की जावे। विचाराधीन प्रकरण में ग्राम पंचायत मउ ने आवेदक को दिनांक १६-४-१९९९ में भूमि खसरा नं १३१४ पर ३०

~~४०~~ ४०. वर्गफुट पर मकान बनाने हेतु पट्टा प्रदान किया है। इसी प्रकार बेनीप्रसाद पाण्ड्य विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य १९८० रा.नि. १५४ का व्याप्त वृष्टांत है कि आवेदक को ग्राम पंचायत ने पट्ट दिया जो इतालवी खसरा नं. १३१४ विधिवत रजिस्टर में दर्ज है। भवन निर्माण की ग्राम पंचायत की अनुमति है राजस्व मण्डल में तहसीलदार द्वारा बटांकन के पारित आदेश, एस.डी.ओ. का अपीलीय आदेश तथा अतिरिक्त आमुख्य रा. अपीलीय आदेश दिनांक ९-९-७६ निरस्त किया है एवं निगरानी उत्तीर्ण हुई है। विचाराधीन प्रकरण की भी यही स्थिति है क्योंकि ग्राम पंचायत मउ ने आवेदक को ग्राम मउ की भूमि खसरा नं. १३१४ के ३० ~~४०~~ वर्गफुट मकान बनाने हेतु पट्टा दिया है तथा ग्राम पंचायत हाथ दिनांक २५-१-२००७ को आवेदक को मकान बनाने की अनुमति भी प्रदान ही गई है। तदुपरांत आवेदक ने ग्रामीण बैंक से ऋण लेकर माकान का निर्माण करना अभिलेख से परिलक्षित है पूर्व में ग्राम व्यागालय के बटांकन की शिकायत होने पर आदेश दिनांक ३०-०९-२००४ से हायांतन १३१४/३ न होना मानकर प्रकरण निरस्त हुआ है जिसके कारण आवेदक के विरुद्ध इन अभिलेखों के देखे बिना तहसीलदार नौगाँव द्वारा प्रकरण क्रमांक ९० ३-६८/२०१५-१६ में पारित आदेश दिनांक १७-११-२०१६ से की गई फर्जी बटांकन की कार्यवाही नियमानुसार होना नहीं पाई गई है क्योंकि आवेदक द्वारा ग्रामक पंचायत से बाद विचारित भूमिका ले ला

४४८

४४९

उल्लेखित किया है जिसके कारण तहसीलदार द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5- उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार नौगाँव जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक ९० अ-६८/२०१५-१६ में पारित आदेश निम्नांक  
१७-११-२०१५ बटांकन कार्यवाही त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं निंगरानी चर्चीकार की जाती है।



(एम.के. सिंह)

सदस्य  
राजस्व मण्डल  
मध्य प्रदेश व्यालियर

